यादव समाज प्रमुख कार्यसमिति ने जय माधव के घोष के बीच हिन्दू नववर्ष पर शंखनाद कर गौ पूजन किया

इंदौर। यादव समाज प्रमुख कार्यसमिति (कोर कमेटी) के तत्वावधान में हिन्दू नव वर्ष गुड़ी पड़वा पर हिंदू आध्यात्मिक सेवा संस्थान के माध्यम से बड़े गणपति चौराहा, सुभाष प्रतिमा पर जय श्रीकृष्ण, जय गौ माता के घोष के साथ बंधुओं और मातृशक्तियों ने गुड़ धनिया प्रसाद का वितरण किया गया। कार्यक्रम के शुभारंभ में पधारे हुए सभी अतिथियों का स्वागत यादव समाज कोर कमेटी के अध्यक्ष गुलशन यादव ने केसरिया अंगवस्त्र पहना के किया।

अध्यक्ष गुलशन यादव,हिंदू आध्यात्मिक सेवा संस्थान के संयोजक मनीष निगम, सेवा भारती के संतोष मालवीय, डा.हेडगेवार स्मारक समिति के सचिव राकेश यादव, उपाध्यक्ष वीरसिंह यादव, सचिव चैनसिंह यादव, संगठनमंत्री अमरसिंह यादव, सह सचिव एमडी यादव, विधि प्रभारी शिवमूरत यादव, प्रवक्ता राजेश यादव, मुकेश यादव, राजेश यादव (खेल प्रकोष्ठ), धुरंधर यादव, राकेश यादव, नितिन यादव, मनोज यादव, जितेंद्र यादव, उमेश यादव, राजेश यादव (आईटी), राव तपन यादव, विजय यादव, विकास यादव, लक्ष्मण यादव, गौरव यादव, रामकिशोर यादव, सुनील यादव, इंदौरीलाल यादव, रमेश यादव दाऊ द्वारा नव संवत्सरारंभ, गुडीपडवा, युगादी, चैत्र शुक्ल प्रतिपदा नववर्ष का केसरिया पताका लहराते हुए जय माधव एवं गौ माता के जयघोष, पूजन और शंखनाद कर हिन्दू नववर्ष के शुभारंभ पर स्वजातीय बंधुओं और मातृशक्तियों ने गुड़ धनिया प्रसाद का वितरण किया गया।

मातृशक्तियों में संगीता यादव, साधना यादव, कविता यादव, अंजना यादव, निर्मला यादव सहित सभी मातृशक्तियों और सहयोगी संस्था कुशवाह नगर व्यापारी संघ के गब्बर वर्मा, राजकुमार भैयन यादव, आकाश कौशल, हनी कौशल, रवि गोरे, भीम यादव, जितेंद्र यादव, राजेश यादव आदि साथियों ने जल संरक्षण,जल संवर्धन और प्लास्टिक मुक्त भारत के विषय पर जनजागरण भी किया और जल संरक्षण एवं संवर्धन के लिए जनमानस में पत्रक वितरित किए गए।

कार्यक्रम में अतिथि सेवा भारती के संतोष मालवीय ने वर्षारंभ मनाने का नैसर्गिक कारण भगवान श्रीकृष्ण की विभूतियों के संदर्भ में बताते हुए कहा कि श्रीमद्ध भगवद्गीता में कहते हैं। इसका अर्थ है, 'सामों में बृहत्साम मैं हूं। छंदों में गायत्री छंद मैं हूं। मासों में अर्थात? महीनों में मार्ग शीर्ष मास मैं हूं और ऋतुओं में वसंतऋतु मैं हूं।' नववर्ष से ऋतु के आगमन से पेडों में कोंपलें अर्थात नए कोमल पत्ते उग आते हैं, पेड-पौधे हरे-भरे दिखाई देते हैं । कोयल की कूक सुनाई देती है।

हिंदू आध्यात्मिक सेवा संस्थान के संयोजक मनीष निगम ने कहा कि वर्ष प्रतिपदा पर हम सब संकल्प ले कि पानी का अपव्यय नहीं होने देंगे। जल है, तो कल है। संचालन सचिव चैनसिंह यादव ने किया एवं आभार अमरसिंह यादव ने माना।

अग्रवाल समाज की 61 महिलाओं के गणगौर व्रत का उद्यापन आज

इंदौर। गोयल पारमार्थिक न्यास की मेजबानी में गणगौर महोत्सव में इस बार भी समाज की 61 महिलाओं के व्रत का उद्यापन सोमवार, 31 मार्च को सुबह 11 बजे से राजीव गांधी चौराहा स्थित शुभ कारज गार्डन पर किया जाएगा।

गणगौर मेले के रूप में इस अवसर पर विभिन्न स्पर्धाएं, उपहार वितरण, स्नेह भोज एवं अन्य स्पर्धाएं भी होंगी। ईसर-गोरा के रूप में सज-धजकर आने वाले महिलाओं के युगलों का सम्मान भी होगा। भजन गायक पूजा पालीवाल एवं धीरज-प्रियंका द्वारा सुमधुर गीतों की संगीतमय प्रस्तुति भी होगी।

आयोजन प्रमुख श्रीमती कनकलता-प्रेमचंद गोयल, श्रीमती कृष्णा-विजय गोयल एवं सोनल-अजय अग्रवाल आलूवाले ने बताया कि प्रत्येक व्रतधारी महिला के साथ उनके पति, परिजन एवं अन्य मेहमानों को भी आमंत्रित किया गया है। 61 महिलाओं के रिश्तेदारों सहित इस महोत्सव में करीब 3 हजार समाजबंधु शामिल होंगे।

कार्टून कोना..........

कॉर्बन फुटप्रिंट वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं के लिए एक जटिल समस्या

आई.पी.एस. अकादमी आई.बी.एम.आर. में इंटरनेशनल मैनेजमेंट कॉन्फ्रेंस का समापन

इन्दौर । औद्योगिक इकाईयां अपने व्यवसाय संचालन में पर्यावरण, समाजिक और आर्थिक रूप से दीर्घकालीन स्थिरता को ध्यान में रखे ताकि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी एक बेहतर कल का निर्माण किया जा सके ।

यह बात श्री अवधेश शर्मा (कमिश्नर डी.टी.ई. भोपाल) ने आई.पी.एस. एकेडमी, इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट एंड रिसर्च, इंदौर द्वारा आयोजित इंटरनेशनल मैनेजमेंट कॉन्फ्रेंस कॉर्पोरेट ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी प्रेक्टिसेस-नेविगेटिंग एडवांसेस, चौलेंजेस एण्ड फ्यूचर पाथवेश् के समापन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में कही, साथ ही तकनीकी शिक्षा और नवाचार को वैश्विक अर्थव्यवस्था के सतत विकास का आधार स्तंभ बताते हुए औद्योगिक स्थिरता के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है उन्होंने विशेष रूप से कॉर्पोरेट क्षेत्र में सामाजिक व पर्यावरणीय उत्तरदायित्व को अतिआवश्यक बताया ।

सतत विकास कोई वैकल्पिक रणनीति नहीं बल्कि कॉर्पोरेट जगत की अनिवार्यता बन चुकी है यह उद्बोधन समापन सत्र में डॉ. उपिदर धर (कुलपति श्री वैष्णव विद्यापीठ इंदौर) ने कही। उन्होंने सतत विकास और कॉर्पोरेट उत्तरदायित्व को समावेशी विकास के लिए अनिवार्य बताया। जिसके माध्यम से भावी चुनौतियों का सामना आसानी से किया जा सकता है, साथ ही सतत विकास के लिए औद्योगपतियों को तीन मुख्य बिन्दुओं पर काम करने की सलाह दी ।

पद्म श्री डॉ. जनक पल्टा (डायरेक्टर जिमी मगिलिगन सेंटर फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंदौर) अपने जीवन के व्यक्तिगत अनुभवों से श्रोताओं को पर्यावरण के प्रति जागरूक व संवेदनशील बनने के लिए प्रोत्साहित किया। तेजी से बढ़ते कॉर्बन फुटप्रिंट वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं के लिए एक जटिल समस्या बन चुका है जिसे हरित प्रौद्योगिकी व तकनीकी दक्षता से काफी हद तक नियंत्रित किया जा सकता है यह बात सम्मेलन में आंमत्रित डॉ. डी. ए. हिन्डोलिया (ए.एफ.आर.सी. भोपाल) ने कही। वित्तीय संसाधनों और पर्यावरणीय संतुलन के बीच सामंजस्य स्थापित करना जरूरी हो गया है जिसके माध्यम से सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सकता है। संस्था के निदेशक डॉ. विवेक सिंह कुशवाह ने अपने विचार व्यक्त करते हुए महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर प्रकाश डाला और उन्होंने कहा कि सतत विकास कोई वैकल्पिक रणनीति नहीं, बल्कि कॉर्पोरेट जगत के लिए अनिवार्यता बन चुकी है। इस अवसर पर संस्था के संस्थापक वास्तुविद् श्री अचल चौधरी, श्री योगेन्द्र जैन, सुश्री निधि जैन, श्री निशित जैन, डॉ. विवेक सिंह कुशवाह, डॉ. सी. के. गोयल, डॉ. सत्यकाम दुबे, डॉ. अशोक झंवर एव अन्य शिक्षकगण भी उपस्थित रहे। समोरोह में अध्यापकगण जो गत एक व दो दशकों से संस्था में कार्यरत है उन्हें संस्था द्वारा सम्मानित किया गया और उनके सतत योगदान को सराहा गया। कार्यक्रम का संचालन डॉ. रितु मिश्रा ने किया एवं आभार डॉ. सत्यकाम दुबे द्वारा दिया गया।

एक अप्रैल से सिर्फ संपदा-2 पर होंगी रजिस्ट्रियां

महानिरीक्षक पंजीयन ने सभी जिला पंजीयक और उप पंजीयकों को निर्देशित किया

इंदौर। नए वित्तीय वर्ष से प्रदेश की ई-पंजीयन प्रणाली में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। एक अप्रैल से सिर्फ संपदा-2 पोर्टल पर ही रजिस्ट्रियां और स्टांप दर्ज किए जा सकेंगे। संपदा -1 को पूरी तरह से बंद कर दिया जाएगा। ऐसे में लोगों के पास अब सिर्फ दो दिन 30 और 31 मार्च का ही समय संपदा -1 से रजिस्ट्री व स्टांपिंग कराने के लिए बचा है। संपदा साफ्टवेयर को लेकर महानिरीक्षक पंजीयन अमित तोमर ने शनिवार को आदेश जारी किए हैं।

इसमें बताया गया है कि ई-रजिस्ट्री और ई-स्टांप प्रणाली में संपदा पोर्टल के उन्नत संस्करण संपदा-2 का संचालन अप्रैल 2024 से अक्टूबर 2024 तक चार जिलों में प्रायोगिक तौर पर शुरू किया गया था। इसे 10 अक्टूबर 2024 से प्रदेश में विस्तारित किया जा चुका है। उन्नत संस्करण के माध्यम से फरवरी 2025 तक कुल दो लाख 19 हजार 878 दस्तावेजों की रजिस्ट्री और एक लाख 10 हजार 524 रुपयों के ई-स्टांप जारी किए जा चुके हैं।

वर्तमान में पायलट जिलों के मुख्यालय उप पंजीयक कार्यालयों में सिर्फ संपदा-2 संचालित किया जा रहा है। इसे विस्तारित करते हुए प्रदेश के सभी उप पंजीयक कार्यालयों के लिए लागू करते हुए संपदा-1 का संचालन बंद किए जाने का निर्णय लिया गया है। ऐसे में सभी सेवा प्रदाता संपदा-1 में ली गई क्रेडिट लिमिट को 31 मार्च तक उपयोग कर लें।

सेवा प्रदाता संपदा-1 के माध्यम से सिर्फ 31 मार्च तक के लिए दस्तावेज व स्टांप तैयार करें। यदि अप्रैल के लिए करते हैं तो वह नहीं बन पाएंगे और संपदा-2 में भी हस्तांरित नहीं किए जा सकेंगे। ऐसे में इससे संबंधित सभी सपोर्ट टिकट का निराकरण 31 मार्च तक कर लिया जाए।

जारी आदेश के कुछ प्रमुख बिंदु

सेवा प्रदाताओं के लिए नवीन क्रेडिट लिमिट लेने की सुविधा 30 मार्च को बंद कर दी जाएगी। 31 मार्च के लिए रजिस्ट्री प्रस्तावित है तो शुल्क पहले जमा कर दें। संपदा-1 से रजिस्टर्ड दस्तवेजों को देने से पहले अच्छे से जांच लें, विसंगति होने पर दस्तावेज जारी न करें। अंतिम दिन में रजिस्टर्ड दस्तावेजों का प्रिंट उसी दिन पक्षकारों को दिया जाए।

अंतिम दिन में रजिस्टर्ड होने वाले दस्तावेजों के सपोर्ट टिकट निपटाए जाएं,विसंगति होने पर दोबारा से बनाएं। ई-स्टांप रिफंड के लिए आवेदन 31 मार्च तक रिफंड निवेदन नंबर के आधार पर भेज दें। संपदा-1 में प्रस्तुत दस्तावेजों का पंजीयन व विधिक रूप से कार्रवाई कर प्रतिवेदन प्राप्त करें। अपंजीकृत दस्तावेजों जिन्हें उप पंजीयकों द्वारा इंपांउड किया है उनको तुरंत निराकृत करें।

आस्था की डुबकी लगाकर लौटे तीर्थयात्रियों का भव्य स्वागत किया गया

महू (इंदौर समाचार) श्री मनोकामनेश्वर महादेव मंदिर संस्था, महूगांव द्वारा आयोजित तीर्थ यात्रा से लौटे श्रद्धालुओं का भव्य स्वागत किया गया। यह तीर्थ यात्रा श्री अयोध्या धाम, काशी विश्वनाथ और प्रयागराज के पावन स्थलों की दर्शन यात्रा के रूप में आयोजित की गई थी। तीर्थयात्रियों के लौटने पर श्रद्धालुजनों और संस्था के सदस्यों ने फूलमालाओं, आरती और मंगल गान के साथ उनका अभिनंदन किया।

इस अवसर पर श्रद्धालुओं ने अपनी आध्यात्मिक अनुभूतियों को साझा करते हुए कहा कि यह यात्रा उनके लिए एक अविस्मरणीय अनुभव रही। संस्था के प्रमुख पदाधिकारियों ने बताया कि इस यात्रा का उद्देश्य श्रद्धालुओं को धार्मिक और आध्यात्मिक लाभ पहुँचाना था। इस सफल आयोजन के लिए सभी सहयोगियों का आभार व्यक्त किया गया और भविष्य में ऐसी और यात्राएँ आयोजित करने की घोषणा भी की गई।

महू में कांग्रेस कमेटी द्वारा हिंदू नववर्ष, गुड़ी पड़वा एवं चैत्र नवरात्र पर बॉटा गुड धनिया

महू (इंदौर समाचार)महू में रविवार को ड्रीमलैंड चौराहा पर कांग्रेस परिवार ने सांस्कृतिक एकता और सर्वधर्म समभाव के संदेश के साथ हिंदू नववर्ष, गुड़ी पड़वा एवं चैत्र नवरात्र का पर्व धूमधाम से मनाया। कार्यक्रम का आयोजन में नेहरू प्रतिमा के समक्ष मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व महासचिव शक्ति सिंह गोयल के सौजन्य से अष्टगंध चंदन का तिलक एवं माता का प्रसाद गुड़ व धनिया वितरित किया गया। इस पावन अवसर पर महू ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष विष्णु मालवीय, महू शहर कांग्रेस महामंत्री राजकुमार बागड़ी, कैलाश गोयल, नारायण पटेल, मनमोहन गुणावद सहित अन्य वरिष्ठ नेता एवं युवा साथियों ने भाग लिया। आयोजन में सेवादल अध्यक्ष नरेश जोशी, जनपद सदस्य अशोक आंजना एवं विलीन पाटीदार समेत कई कांग्रेसियों की उपस्थिति ने इस उत्सव को और भी यादगार बना दिया। कांग्रेस परिवार द्वारा सर्वधर्म समभाव एवं सांस्कृतिक उत्सवों के सम्मान में आयोजित इस कार्यक्रम में नगरवासियों को नववर्ष, चैत्र नवरात्र एवं चेटी चंड की हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित की गई। कार्यक्रम ने महू की सामाजिक एकता, भाईचारे और सांस्कृतिक विरासत को दर्शाते हुए क्षेत्रवासियों के बीच सकारात्मक ऊर्जा का संचार किया। इस भव्य आयोजन से स्पष्ट होता है कि राजनीतिक मंच पर भी सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से एकता एवं सद्भावना का संदेश प्रचलित किया जा रहा है, जो समाज में सामूहिक उत्साह एवं सहयोग की भावना को मजबूत बनाता है।

हिन्दी साहित्य समिति के मानस भवन में तीन साहित्यकारों की पुस्तकों का लोकार्पण

इंदौर। हिन्दी साहित्य समिति के मानस भवन में पुस्तक लोकार्पण का आयोजन संपन्न हुआ। प्रसंग था, नगर के प्रतिष्ठित तीन साहित्यकारों की पुस्तकों के लोकार्पण का सर्वश्री ब्रजेन्द्र नागर, की प्रथम कृति प्रातः स्मरण व किशोर शर्मा जी के सुख शांतिमय हो यह संसार तथा डा शशि निगम की प्रथम कृति अभिव्यक्ति काव्यसंग्रह का लोकार्पण किया गया !

%अभिव्यक्ति% काव्यसंग्रह पुस्तक पर चर्चाकार श्री हरेराम वाजपेयी जी ने चर्चा करते हुए यह विचार अभिव्यक्त किये कि उक्त पुस्तक मे लेखिका ने लगभग सभी विषयों को समाहित किया है ! फिर चाहे सरस्वती वंदना हो, मां पर की गई, अभिव्यक्ति हो सुश्री डां0शशिकला निगम ने अपनी चुनिंदा रचनाओंमें से एक गुरुवंदना का सुमधुर गान किया ! सर्वश्री ब्रजेंद्र नागर व श्री किशोर शर्मा जी की पुस्तकों पर चर्चा की, इस अवसर पर हिन्दी साहित्य के देविव्यमान नक्षत्र डां योगेन्द्रनाथ शुक्ल जी करते हुए ने चर्चा करते हुए नवोदित कलाकर की मानवीय संवेदना और प्रखर अभिव्यक्त की सराहना की! साथ ही आदरणीय अनिल ओझा जी ने काव्यमय आभार माना स्व सज्जन जी जैन साहब द्वारा स्थापित संस्था अखंड-संडे के बैनर तले होली मिलन समारोह किया गया, इस गरिमामय समारोह में नगर के अनेकानेक लब्धप्रतिष्ठित साहित्यकार पधारे थे।

मुख्य रुप से वरिष्ठ अभिभाषक व कलम के योद्धा विजय सिंह चौहान, सुश्री अर्चना शुक्ला जी, राजेश व्यास, बालेंदु द्विवेदी, सुभाष चंद्र निगम, तथा विजय गुलानी जी ने भी की उपस्थिति ने अपना बहूमूल्य समय प्रदान कर कार्यक्रम की गरिमा को गौरवान्वित किया!

उक्त कार्यक्रम की जानकारी मालवी साहित्य के प्रमुख हस्ताक्षर एवं अधिवक्ता काव्य-कीरिट सुभाष चंद्र निगम ने दी। कार्यक्रम का संचालन श्री मुकेश इंदौरी जी ने किया व आभार प्रदर्शन वरिष्ट साहित्यकार श्री अनिल ओझा द्वारा किया गया।

इस अवसर पर सुप्रसिद्ध लाल सलाम लेखक रामकिशोरजी मेहता ने भी दूरभाष् के माध्यम से अपनी शुभकामनाए और आशीर्वाद प्रदान किया।

निगम के सेवानिवृत अफसर पर 25,000 दंड

राज्य सूचना आयोग ने शासकीय सेवा में पद पर रहते हुवे जानकारी नहीं देने तथा जानकारी 975 दिनों तक विलंबित करने और अपर-आयुक्त के आदेश का पालन नहीं करने का दोषी माना और लगाया 25,000/- दंड

नगर निगम इंदौर के सेवानिवृत यंत्री श्री सुनील गुप्ता द्वारा मात्र 3 इंची वर्षा में जलमग्न हुवे इंदौर की वर्षा जल निकासी के कार्य पर खर्च कि गई करोडो रूपये की धन राशी कि जानकारी नहीं देने पर लगाया दंड

इंदौर। दिनांक 30-03-25, मध्यप्रदेश राज्य सूचना आयोग ने पूर्व पार्षद श्री दिलीप कौशल कि अपील को स्वीकार करते हुवे नगर निगम इंदौर के सेवानिवृत यंत्री श्री सुनील गुप्ता (जल यंत्रालय एवं ड्रेनेज) पर जानकारी नहीं देने तथा जानकारी छिपाने और अपीलीय अधिकारी के आदेश का पालन नहीं करने का दोषी मानते हुवे सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 20 के अंतर्गत 25,000/- कि राशि से दण्डित किया है हालाकि श्री गुप्ता को पक्ष रखने का अवसर दिया गया है।

पूर्व पार्षद श्री दिलीप कौशल ने बताया कि विगत 3 से 4 वर्ष पूर्व इंदौर नगर में एकाएक एकसाथ हुई मात्र 3 इंच वर्षा में शहर कि सड़के तालाब में तब्दील हो गई थी जवाब्दारो द्वारा कारण इंदौर नगर निगम के जल निकासी व्यवस्था को फेल होना बताया गया था जबकी देश के प्रधानमंत्री द्वारा इंदौर स्मार्ट सिटी योजना अंतर्गत करोडो रूपये कि धनराशी वर्षा जल निकासी के लिए मंजूर कि गई थी और नगर निगम द्वारा प्रति वर्ष शहर में जल निकासी के नाम पर करोडो रूपये का बजट आवंटन किया जाता रहा है जिसके सम्बन्ध में सूचना के अधिकार में आवेदन देकर वर्षा जल निकासी पर खर्च कि गई राशि से सम्बंधित जानकारी चाही गई थी, विभाग द्वारा निर्धारित समय में जानकारी नहीं दी गई, प्रथम अपीलीय अधिकरी श्रीमती भव्या मित्तल ने जानकारी देने के आदेश श्री सुनील गुप्ता को दिए थे, श्री गुप्ता द्वारा जानकारी नहीं डी गई और सेवानिवृत हो जाने से आवेदक श्री कौशल को 975 दिवस तक जानकारी नहीं दी गई, सूचना आयोग के समक्ष श्री विवेश जैन ने उपस्थित होकर तथा आयोग के निर्देशों पर व्यक्तिगत शपथ-पत्र दाखिल कर बताया कि अपीलीय अधिकारी के आदेश के पालन अंतर्गत आवेदक का मूल आवेदन 10 दिवस में सम्बंधित विभाग को अंतरित करना था जो श्री सुनील गुप्ता द्वारा नही किया गया राज्य सूचना आयोग ने सभी तथ्यों तथा श्री विवेश जैन के व्यक्तिगत शपथ-पत्र के आधार पर श्री सुनील गुप्ता को जानकारी जानकारी छिपाने तथा अपीलीय अधिकारी के आदेश का पालन नहीं करने और आवेदक को 975 दिवस तक जानकारी से विलंबित रखने का दोषी मानते हुवे सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 20 अनुसार राशि रूपये 25,000/- पच्चीस हजार से दण्डित करने का आदेश पारित किया है वही श्री गुप्ता को आगामी दिनांक 21 अप्रेल 2025 को अपना पक्ष रखने का अवसर देते हुवे व्यक्तिगत सुनवाई करने का निर्णय लिया गया है

श्री कौशल ने बताया कि नगर निगम इंदौर के अधिकारियो द्वारा सूचना के अधिकार कानून का निरंतर मखौल उड़ाया जा रहा है, अधिनियम में 30 दिवस में जानकारी देने का प्रावधान है परन्तु महीनो तक विभिन्न आवेदकों को जानकारी नहीं दी जाती है और समय पूरा ने पर अधूरी अथवा भ्रामक जानकारी दी जाती है